

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र-किच्छा के अन्तर्गत विभिन्न 07 कार्यों के निर्माण कार्य की (द्वितीय चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी संलग्न विवरण में उल्लिखित कुल 07 कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 8.285 किमी० एवं लागत ₹ 339.08 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 319.34 लाख (रु० तीन करोड़ उन्नीस लाख चौतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 07 कार्यों हेतु ₹ 0.70 लाख (₹ रु० सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

CAO-II

01/04/21

धन सिंह कुटियाल  
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

729

देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2021

SSOC(45)

मुख्य अभियन्ता (नियोजित)  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून

श्री. वरुण  
03/4/21

CAO (नि. 1)

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोवयोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।


(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-02 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1110/XXVII/(2)/2021 दिनांक 30 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोपरि




(रमेश कुमार सुधांशु)  
प्रमुख सचिव

संख्या \_\_\_\_\_ / 111(2) / 21-64(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी III तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


  
(दिनेश कुमार पुनेठा)  
अनु सचिव

संख्या-926/111(2)/21-67(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी. दिनांक 30 मार्च, 2020 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-किच्छा के अन्तर्गत ग्राम जवाहर नगर में शान्तिपुरी जाने वाले मार्ग जवाहर नगर पोस्ट नगला मोटर मार्ग का पी०सी० द्वारा डामरीकरण/पुनः निर्माण सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2.00	95.41	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-किच्छा के अन्तर्गत शान्तिपुरी नं०-02 में सुभाष जोशी के घर से डाम होते हुए केदार जोशी के घर तक मोटर मार्ग का पी०सी० द्वारा डामरीकरण/पुनः निर्माण सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	0.700	16.82	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-किच्छा के अन्तर्गत ग्राम वीररुनगला के आन्तरिक मार्गों का सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेंट द्वारा निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.535	43.33	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-किच्छा के अन्तर्गत लालपुर में एन०एच०-74 से आस्था इनक्लेव के आन्तरिक मार्गों का सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेंट द्वारा निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.545	24.88	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-किच्छा में किच्छा दरऊ मुख्य मार्ग से अम्बेडकर कालोनी दरऊ के आन्तरिक मार्गों का सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेंट द्वारा निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.355	33.08	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-किच्छा में जवाहर नगर सत्संग आश्रम में नन्दादेवी मन्दिर से लेमार्ट स्कूल तक सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक पेवमेन्ट द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.650	49.38	0.10
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-किच्छा में लालपुर पक्की खमरिया मोटर मार्ग का एस.डी.वी.सी. द्वारा पुनः निर्माण एवं सुदृढीकरण तथा नाली निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण)	3.500	56.44	0.10
	योग	8.285	319.34	0.70

(कुल रु. सत्तर हजार मात्र)

आज्ञा से  
  
 (दिशीश कुमार पुनेठा)  
 अनु सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -926/III(2)/21-67(MLA)2017TC  
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21030220070  
आवंटन पत्र दिनांक-30-MAR-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		4350000	70000	0	4420000							
योग		4350000	70000	0	4420000							

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.70,000 (Rupees Seventy Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: [ciepwwd@nic.in](mailto:ciepwwd@nic.in)



पत्रांक-324 /20 याता0'क'/2021

दिनांक-03 .04.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

अमर0 सी0 एस0 पवार  
वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी